# मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

**प्रकीर्ण वाद संख्या** २९/२०२१ (एम.ए.सी.पी.सं. ९०/२०१७)
कु. अपूर्वा कौशिक बनाम तरुण कुमार गुप्ता आदि
**२५.०३.२०२१**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज ३बी प्रार्थनापत्र पर आदेश हेतु नियत है। ३बी प्रार्थनापत्र पर पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया कु. अपूर्वा द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १८.०६.२०२० को निर्णीत की जा चुकी है। उक्त निर्णय के विरूद्ध विपक्षी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एफ.ए.एफ.ओ. सं. ५७९/२०२० प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनाँकित २४.११. २०२० के अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी को सम्पूर्ण प्रतिकर धनराशि जमा करने का आदेश दिया गया एवं जमा क्षतिपूर्ति धनराशि में से ५० प्रतिशत धनराशि प्रार्थिया/याचिया को नकद प्राप्त होनी है तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली कम से कम ३ वर्ष के लिये सावधि जमा योजना में निवेशित की जाना है, जिसका ब्याज प्रार्थिया/याचिया प्राप्त करेगी। अतः प्रार्थिया/याचिया ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमाशुदा धनराशि उसे दिलाए जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थिया ने स्वयं का शपथपत्र ४सी२, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनाँकित २४.११. २०२० की प्रति, न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रति, अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई हैं।

कार्यालय आख्या दिनाँकित ०९.०२.२०२१ के अनुसार संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक २९ पर पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में ₹९७,२५९ यूटीआर नं. केकेबीके २०३५३८६१३३०३ से जरिये नेफ्ट जमा होने का इन्द्राज है एवं माननीय उच्च न्यायालय के एफ.ए.एफ.ओ. सं. ५७९/२०२० में पारित आदेश दिनाँक २४.११.२०२० के अनुसार जमाशुदा धनराशि में से ५० प्रतिशत धनराशि याची को देय है एवं ५० प्रतिशत धनराशि फिक्स डिपोजिट होना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १८.०६.२०२० को ₹ ९५,१२८ मय ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनाँकित २४.११.२०२० व कार्यालय आख्या एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि ₹९७,२५९ विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमा की गई है, जिसमें से ५०प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि याचिया को नकद प्राप्त होनी हैं तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि सर्वोच्च ब्याज देने वाली एफ.डी.आर. में कम से कम तीन वर्ष के लिए निवेशित की जानी है। प्रार्थिया ने अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की है। अतः मेरे विचार से प्रार्थिया/याचिया माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनाँकित २४.११.२०२० के अनुपालन में ५० प्रतिशत धनराशि ₹ ४८६२९ प्रार्थिया/याचिया आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि ₹४८६३० सर्वोच्च ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना में ३ साल के लिए उसके नाम से निवेशित किये जाने योग्य है, जिसका ब्याज प्रार्थिया प्राप्त कर सकेगी।

**आदेश**

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ९०/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. २९/२०२१ कु.अपूर्वा कौशिक बनाम तरुण कुमार गुप्ता आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ९७,२५९ मय अर्जित ब्याज प्रार्थिया/याचिया को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर देंः–

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.25 18:51:57 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

| Applicant/ Petitioner | Amount in Rs. | + (%of) Interest Accrued on Deposited Amount | Mode of Disbursment | Bank Account Number | Bank | IFSC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.KUM. Apoorva Kaushik | 48629 | 50 | Elect.Mode RTGS/ NEFT | 1459001700355116 | PNB Gursarai Jhansi | PUNB0145900 |
| 1.KUM. Apoorva Kaushik | 48630 | 50 | FD for 3 Years. Carrying highest Intrest. Her interest received on account | ---- | Any Nationlized Bank | ---- |
| Total | 97259 | 100 | | | | |

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।